


की गई भर्ती का विवरण
कनिष्ठ

सहायक



नियुक्ति या
अन्य प्राधिकृत
अधिकारी के
हस्ताक्षर

विवरण
(जिस वर्ष
द्वारा उपयोगी
लिखा गया)

अ.जा.	अ.जा.जा.	भर्ती का वर्ष	रोस्टर एवं बिन्दू संख्या	क्या अनारक्षित है अथवा अ.जा./अ.जा.जा. के लिए आरक्षित है	नियुक्ति व्यक्ति का नाम एवं नियुक्ति तिथि	क्या अ.जा./अ.जा.जा. है यदि नहीं तो नहीं लिखें	अ.जा.	अ.जा.जा.	नियुक्ति प्राधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर	विवरण (जिस वर्ष द्वारा उपयोगी लिखा गया)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

की गई भर्ती का विवरण
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से कनिष्ठ सहायक

अ.जा.	अ.जा.जा.	भर्ती का वर्ष	रोस्टर एवं बिन्दू संख्या	क्या अनारक्षित है अथवा अ.जा./अ.जा.जा. के लिए आरक्षित है	नियुक्ति व्यक्ति का नाम एवं नियुक्ति तिथि	क्या अ.जा./अ.जा.जा. है यदि नहीं तो नहीं लिखें	अ.जा.	अ.जा.जा.	नियुक्ति प्राधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर	विवरण (जिस वर्ष द्वारा उपयोगी लिखा गया)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

कर्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक : एक, 15(24) डीओपी/क-2/75 दिनांक 20.11.97 द्वारा रिक्तियों के बजाय पद आधारीत रोस्टर लागू किया गया है, जिसके अनुसार प्रत्येक रोस्टर में बिन्दुओं की संख्या किसी संवर्ग में के पदों की संख्या के बराबर होगी, तथा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का आरक्षण पूर्ण होने पर रोस्टर का संतुलन बन्द हो जाएगा तथा Replacement नियम लागू होगा। विभाग में इस पद का अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित क्रमशः 16 प्रतिशत एवं 12 प्रतिशत अन्धांधा पूर्व में पूर्ण हो चुका है तथा सेवानिवृत्ति/पदोन्नति/मृत्यु आदि से हुए रिक्त पदों को उसी कैटेगिरी से भरा जाना है, जिस कैटेगिरी से पद रिक्त हुआ है। इस प्रकार वर्तमान में Replacement नियम के अनुसार पदोन्नतियां प्रदान की जा रही है।

कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.7(2)कार्मिक/क-2/19 दिनांक 24.02.2020 द्वारा यह निर्देश प्राप्त हुए हैं कि पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए पद आधारीत (Post Based) आरक्षण लागू होने के पर्यन्त अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व उनके लिए निर्धारित अन्धांधा पूर्ण होने पर भी रोस्टर पंजीका का संभारण किया जाना है। अतः कार्मिक विभाग के उक्त परिपत्र दिनांक 24.02.2020 द्वारा निर्धारित प्रारूप में 01.04.2020 से पदोन्नति से भर्ती के लिए रोस्टर पंजीका का संभारण निम्नानुसार किया जा रहा है :

राजस्थान अधीनस्थ लिपिक वर्गीय सेवानियम 1999 के नियम 6(1) भर्ती की शैतियां के अनुसार इन नियमों में एतरिमत पर्याप्त अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अन्धांधा रहते हुए, सेवा के पदों पर भर्ती या नियुक्ति अनुसूची-1 के स्वयं संख्या 3 और 4 में उपदर्शित अनुयात में भर्ती की शैतियां से भर्ती की जावेगी। इसके अनुसार कनिष्ठ सहायक के कुल स्वीकृत पदों में 85% सीधी भर्ती के राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से भरे जावेंगे तथा 15% चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों से पदोन्नति द्वारा भरे जाने का प्रावधान है।

विभाग में दिनांक 01.04.2020 की स्थिति में निर्मांकित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से पदोन्नत कनिष्ठ सहायक कार्यरत है-

2020-21	UR	नैरेन्द्र सिंह	16.11.1995
1	UR	लखसाराम	01.04.2003
2	UR	रामकरण	01.04.2012
3	UR	हिमाशु शर्मा	2017-18
4	UR		

शर्मा

